


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 15/2025 जोसना देवी उर्फ जोशना देवी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य</p>	<p>म्वर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिलमें जारी हुए</p>
<p>11-7-2025</p>	<p>पत्रावली मूल अपील के साथ साथ पेश हुई। प्रार्थी अपीलार्थी जोसना देवी उर्फ जोशना देवी पत्नी रामलाल जी, जाति- सरगड़ा, निवासी- हरजी रोड़, जावाल, तहसील व जिला- सिरौही एवं प्रार्थी अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 क्रमशः सुबटी पत्नी मीठीया जी, जाति- सरगड़ा, निवासी- हरजी रोड़, जावाल व विनोद कुमार पुत्र रामलाल जी, जाति- सरगड़ा, निवासी- हरजी रोड़, जावाल, तहसील व जिला- सिरौही उपस्थित एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार छीपा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।</p> <p>चूंकि प्रार्थी अपीलार्थी जोसना देवी उर्फ जोशना देवी तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 क्रमशः सुबटी व विनोद कुमार के मध्य आपसी सहमति व लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से प्रार्थी अपीलार्थी की अपील जरिये राजीनामा आज निर्णित हो चुकी है। अतः प्रार्थी अपीलार्थी का यह प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  अति. जिला कलक्टर सिरौही (राज.) </p>	